

R5234 J 15

01- श्रीमती मधु त्रिपाठी पत्नी श्री कृष्णकान्त त्रिपाठी उम्र-30 वर्ष पेशा-बेरोजगार निवासी ग्राम नाउन खुर्द, तह० हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०.

02- श्री विजय कुमार पाण्डेय तस्य श्री बुद्धसेन पाण्डेय उम्र-28 वर्ष पेशा-बेरोजगार

03- श्री लालमणि भूतिरिया तस्य श्री ~~सतलमणि भूतिरिया~~ ^{सुनीलमणि भूतिरिया} उम्र-29 साल पेशा-बेरोजगार निवासी ग्राम नाउन खुर्द, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०.

----- आवेदकगण

बनाम

01- श्रीरामदास सेन तस्य श्रीसरला सेन उम्र-66 वर्ष पेशा-पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नाउनखुर्द, तह० व वि०ख० हनुमना जिला रीवा, म०प्र०

02- श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय पत्नी श्री राजेश पाण्डेय उम्र-37 वर्ष पेशा-नौकरी

03- श्री रामविशाल पटेल तस्यनामालुम प्रभारी सचिव, ग्राम पंचायत नाउन खुर्द तह० हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

04- श्री जय प्रकाशनाथायण शुक्ल तस्य श्री अमटियाप्रसाद शुक्ल उम्र-36 वर्ष पेशा-खेती व नौकरी निवासी ग्राम नाउन खुर्द, तह० हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

----- प्रत्यर्थागण

श्री. सनातन कुमार उम्र 72 वर्ष के द्वारा आज दिनांक 10-12-15 के प्रस्तुत किया गया।

[Signature]
रीवा
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अर जिलाध्यक्ष

महोदय रीवा जिला रीवा म०प्र० द्वारा प्र०क्र० 179-अ/ 89/14-15 मे पारित निर्णय दिनांक 17.03.015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं० 1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

01 यह कि निर्णय व आदेश अधीन न्यायालय अनियमित अवैध तथा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।


02 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पंचायत राज अधिनियम में पुनर्स्थापना का प्रावधान न होने पर ^{General Clauses Act} एक्ट की धारा 3 के अनुसार यह प्रावधान पुनर्स्थापना का पंचायत राज अधीन में लागू होता है, जिसके लागू मानकर अधीनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5234-II/15

जिला-रीवा

श्रीमती मधु त्रिपाठी/रामदास सेन वगैरः

(1)	(2)	(3)
27.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	